कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 04.11.2019 एवं पत्र दिनांक 02.03.2020 के द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला एवं समकक्ष पदों हेतु जारी वरिष्ठता सूचियों में योग्यता अभिवृद्वि के इन्द्राज हेतु निर्देश प्रदत्त हैं तथा वर्ष 2020–21 हेतु उच्च पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के लिए तैयार पात्रता सूची में पात्र आशार्थियों की योग्यता अभिवृद्वि के इन्द्राज हेतु अन्तिम तिथि 20.03.2020 निर्धारित करते हुए संभाग कार्यालयों द्वारा जारी आदेशों के क्रम निदेशालय द्वारा भी यथासमय आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

प्रायः देखने में आया है कि कार्मिकों द्वारा योग्यता अर्जित करने के उपरान्त भी यथासमय उक्त वर्ष की वरिष्ठता सूची में योग्यता का इन्द्राज नहीं करवाया जाता और डीपीसी की कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के बाद योग्यता अभिवृद्धि हेतु आवेदन कर योग्यता का इन्द्राज करवाया जाता है तथा उक्त आधार पर पदोन्नति की मांग की जाती है। ऐसे योग्यता अभिवृद्वि के प्रकरणों के कारण विभाग के समक्ष अनावश्यक रिव्यू डीपीसी के प्रकरण उत्पन्न हो रहे है जिसको शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर ने पत्रांक प.7(67)शिक्षा–2/2019 दिनांक 14.05.2020 के द्वारा बहुत गम्भीरता से लेते हुए कठोर निर्देश प्रदान किये गये है जिसके क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि:–

1. स्थाई वरिष्ठता सूची जारी होने के पश्चात यदि कोई कार्मिक शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं में नियमानुसार (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से) अभिवृद्वि करता है तो निर्धारित प्रपत्र में प्रकरण सक्षम अधिकारी को उचित माध्यम से प्रार्थना–पत्र योग्यता धारण करने के छः माह के भीतर प्रस्तुत कर देवें। सक्षम अधिकारी ऐसे प्रकरणों की जॉच पश्चात एक माह में आदेश जारी कर द्वितीय श्रेणी अध्यापक/समकक्ष पद की योग्यता अभिवृद्वि संभाग स्तरीय वरिष्ठता सूचि में दर्ज कर तद्नुसार आदेश निदेशालय को भिजवावें। वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के समय कार्मिक द्वारा अपने आवेदन–पत्र में जो योग्यता अंकित की है उसका उल्लेख संभाग स्तर की वरिष्ठता सूची में आवश्यक रूप से किया जावे।

2. निदेशालय द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन के समय जो संबंधित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र संभाग कार्यालय को भिजवाये जाते है, उन आवेदन पत्रों के आधार पर संभाग कार्यालय की संस्थापन शाखा **Excel sheet** में ऐसा अभिलेख संधारित करें जिसमें आवेदन पत्र में अंकित सम्पूर्ण विवरण यथा– अभ्यर्थी का नाम,पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग आदि, श्रेणी (विधवा/परित्यक्ता/विकलांग/भूपू सैनिक आदि), शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताएं (शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता का नाम, उतीर्ण वर्ष, ऐच्छिक विषय, सम्बद्ध बोर्ड/विश्वविधालय का नाम आदि) आदि अन्य कोई विवरण जो संस्थापन सूचना हेतु आवश्यक हो तथा प्रत्येक कार्मिक की इम्पलोई आई0डी0 का भी अंकन करें ताकि जब संबंधित वर्ष की वरिष्ठता सूची तैयार की जानी हो तो संभाग कार्यालय की संस्थापन शाखा उक्त संधारित रजिस्टर (**Excel sheet**) के आधार पर वरिष्ठता सूचियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाला कोई अभ्यर्थी वरिष्ठता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं रहे साथ ही उसके द्वारा अर्जित योग्यता का सही अंकन वरिष्ठता सूची में हो। उक्त तैयार **Excel sheet** के आधार पर संभाग स्तर पर 01 अप्रेल को कार्यरत अधिकारियों की सूची भी तैयार की जा सकेगी जिसके लिए निदेशालय द्वारा **VC** के माध्यम से संभाग कार्यालय को उचित दिशा निर्देश प्रदान किये जायेगें।

3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति के उपरान्त कोई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की जाती है तो उन अभ्यर्थियों और उनके संस्था प्रधानों का यह दायित्व है कि वे तत्काल अर्जित योग्यता का संबंधित वर्षो की वरिष्ठता सूची में इन्द्राज कराने हेतु प्रकरण पीईईओ/सीबीईओ के माध्यम से संभाग कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में यथा समय आवेदन प्रस्तुत करें। संभाग कार्यालय तत्काल इन योग्यताओं को वरिष्ठता सूची में दर्ज करने संबंधी कार्यवाही कर आदेश प्रसारित कर निदेशालय को भिजवावें। निदेशालय द्वारा परीक्षण उपरान्त आदेश प्रसारित करने के पश्चात ही अर्जित योग्यता का इन्द्राज संबंधित कार्मिक के शाला दर्पण पर प्रपत्र 10 एवं कार्मिक की सेवा पुस्तिका में सक्षम स्तर से किया जावें ।

4. विभाग के समक्ष इस प्रकार के प्रकरण भी प्रस्तुत हो रहे है जिसमें कार्मिकों द्वारा योग्यता अभिवृद्धि तो करली गई है परन्तु आज दिनांक तक उसका अंकन वरिष्ठता सूचियों में नहीं करवाया है और डीपीसी की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद अथवा सेवानिवृति से पूर्व अर्जित योग्यता के इन्द्राज का प्रकरण प्रस्तुत कर रिव्यु डीपीसी के माध्यम से गत वर्षो में पदोन्नति की मांग की जाती है जिससे रिव्यु डीपीसी में चयन की कार्यवाही से आगामी वर्षो की पूर्व आयोजित डीपीसी भी प्रभावित हो जाती है। अतः नियत्रंण अधिकारी ऐसे समस्त कार्मिकों के सेवाभिलेखों आदि की जॉच कर यह सुनिश्चित करें कि कार्मिक द्वारा कोई योग्यता अर्जित कर छिपाई नहीं गई है। फिर भी यदि किसी कार्मिक द्वारा गत वर्षो में अर्जित योग्यता का प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त कार्मिक से इस आशय का शपथपत्र प्राप्त किया जावें कि मेरे द्वारा अर्जित योग्यता विलम्ब से वरिष्ठता सूची में दर्ज करवाई जा रही है जिसके लिए में स्वयं उत्तरदायी हूँ तथा मैं भविष्य में उक्त अर्जित योग्यता के आधार पर पूर्ववर्ती वर्षो की डीपीसी में पदोन्नति की मांग नहीं करूगां । पूर्ववर्ती वर्षो में अर्जित योग्यता का इन्द्राज जिन कार्मिकों द्वारा अभी तक भी नहीं करवाया गया है, ऐसे कार्मिकों के लिए वर्ष 2020–21 की नियमित डीपीसी के आयोजन के उपरान्त एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसके लिए अलग से निर्देश प्रसारित होगें।

5. कार्मिक द्वारा पूर्व वर्षो में अर्जित योग्यताओं के संबंध में समस्त नियंत्रण अधिकारी अपने अधिनस्थ समस्त द्वितीय वेतन श्रृंखला एवं समकक्ष पद के अध्यापकों की सेवा पुस्तिका एवं शाला दर्पण के प्रपत्र–10 पर दर्ज योग्यता का मिलान वर्ष 2013–14 तक की वरिष्ठता सूचियों से तथा आगामी वर्ष की निमार्णाधीन वरिष्ठता सूचियों/संस्थापन रजिस्टरों से मिलान करें एवं प्रत्येक कार्मिक की सेवा पुस्तिका में उसका सही सही इन्द्राज है अथवा नहीं की जॉच करते हुए कार्मिक द्वारा अपनी अर्जित योग्यता को छिपाया नहीं गया है का प्रमाण–पत्र तिथि एवं मोहर सहित अंकित करें तथा कार्मिक के भी प्रतिहस्ताक्षर अंकित करवावें अर्थात कार्मिक के द्वारा अर्जित समस्त योग्यताओं का इन्द्राज वरिष्ठता सूची, सेवा पुस्तिका एवं शाला दर्पण के प्रपत्र–10 में एक समान हैं। यदि योग्यता अंकन में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जावें तो वास्तविक योग्यता का मिलान कर समस्त अभिलेखों को सही किया जावें और यदि वरिष्ठता सूची में योग्यता दर्ज नहीं है तो प्रकरण संभाग कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किया जावें।

6. डीपीसी वर्ष 2020–21 हेतु द्वितीय वेतन श्रृंखला से उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता निर्माण का कार्य सम्पन्न हो चुका है। वर्ष 2021–22 एवं आगामी वर्षो की डीपीसी हेतु अर्जित योग्यताओं के वरिष्ठता सूचियों में अंकन हेतु बिन्दु संख्या 01 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने के साथ–साथ संभाग कार्यालय से योग्यता अभिवृद्वि, नवीन नामांकन, विलोपन एवं संशोधन के प्रकरणों का अन्तिम आदेश प्रति वर्ष निदेशालय को भिजवाने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी निशिचित की जाती है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी प्रकरण को आगामी वर्ष की डीपीसी में

सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण निदेशालय में नियत तिथि उपरान्त प्राप्त होगा तो संबंधित का दायित्व निर्धारण कर उनके विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर।

कमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/वरि/के-2/11968/मानदण्ड/18-19/ दिनांक: 22/05/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर
5. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
6. प्रधानाचार्य, रा. उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
7. प्रधानाचार्य, रा. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
8. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु
10. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग को निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
12. समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
13. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
14. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन अनुभाग को प्रकाशनार्थ 07 प्रतियों में
15. सहायक निदेशक, संस्थापन ए-बी/सी/एफ अनुभाग
16. समस्त संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि/ समस्त संबंधित कार्मिकों को पालनार्थ
17. प्रभारी शाला दर्पण

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर